# महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन–456006 (म.प्र.)
**Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan**
(Ministry of HRD, Govt. of India)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)


प.सं. 17-3/2019 (प्र./वि.)/मसारावेविप्र/

दिनांक : 1.9.2021

## कार्यालय आदेश -1058

**विषय : प्रतिष्ठान द्वारा अनुदानित वेदपाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में अध्यापकों की साक्षात उपस्थिति के संबंध में ।**

महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन से अनुदानित वेदपाठशालाओं एवं गुरु-शिष्य परम्परा योजना इकाइयों को कोविड-19 के उपरान्त पुनः खोलने की दृष्टि से आज दिनांक 31-8-2021 को चर्चा की गई । जिसमें यह ज्ञात हुआ कि देश के कई राज्यों जैसे नई दिल्ली, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के कई जिलों, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, त्रिपुरा आदि राज्य सरकारों ने समकक्ष विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों हेतु जुलाई के अन्त से साक्षात उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। प्रतिष्ठान द्वारा जुलाई-अगस्त,2021 में कई वेदपाठशालाओं / इकाइयों का ऑनलाइन औचक निरीक्षण करने पर यह ज्ञात हुआ कि वेद अध्यापक इकाइयों एवं पाठशालाओं में साक्षात् उपस्थित नहीं हो रहे हैं । प्रतिष्ठान द्वारा कोविड-19 के प्रभाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जुलाई-अगस्त, 2021 में अध्यापकों की पाठशाला/ इकाइयों में साक्षात् उपस्थिति नहीं होने पर भी शिथिलता प्रदान कर अध्यापक मानदेय जारी किया गया है ।

प्रतिष्ठान से अनुदानित समस्त वेदपाठशाला/ गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों को पुनः जरूरी निर्देशित किया जाता है, कि दिनांक 1 सितम्बर, 2021 से गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक एवं पाठशाला के समस्त वेद एवं आधुनिक विषयों के अनुदानित अध्यापक वेदपाठशाला/ इकाई में साक्षात् उपस्थिति रहें तथा पाठशाला/ इकाई में साक्षात् उपस्थित छात्रों एवं साक्षात् अनुपस्थित छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से अध्यापन कराएंगे । दोनों माध्यमों (साक्षात् एवं ऑनलाइन) पढ़ाने की पद्धति को हाईब्रीड माध्यम कहा जाता है ।

वेद पाठशाला/ इकाई में अध्यापक की साक्षात उपस्थिति (प्रतिष्ठान कार्यालय में पुस्तक निर्माण हेतु उपस्थित अध्यापकों को छोड़कर) नहीं होने की सूचना वेदपाठशाला प्रबंधक एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक तुरन्त प्रतिष्ठान को ईमेल / पत्र के माध्यम से सूचित करें । प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी पाठशाला/ इकाई का कभी भी ऑनलाइन औचक निरीक्षण किया जा सकता है । अनुपस्थिति को गंभीर रूप से परिगणित किया जाएगा ।

निरन्तर......


**दूरभाष** (0734)2502266, 2502254, 2502255 **फैक्स** (0734-2502253)
E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in

अभी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को टीकाकरण नहीं हुआ है । अत: वेदपाठशालाओं / इकाइयों में छात्रों की साक्षात उपस्थिति अनिवार्य नहीं हैं। छात्र ऑनलाइन माध्यम से भी अध्यापन जारी रख सकते हैं। जिन वेदपाठशालाओं /इकाइयों में छात्र साक्षात् (कक्षा 9 से 12 समकक्ष) (कक्षा वेदभूषण चतुर्थ, पंचम वर्ष एवं वेदविभूषण प्रथम एवं द्वितीय वर्ष) उपस्थित हैं वे साक्षात उपस्थित /ऑनलाइन अध्ययनरत छात्रों की सूची, चित्र एवं राज्य सरकार /स्थानीय प्रशासन के विद्यालय खोलने की स्वीकृति हेतु जारी आदेश की प्रति प्रतिष्ठान को प्रेषित करें ।

1/9/2021

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव

प्रतिलिपि : (1) सचिव के निजी सचिव, मसारावेविप्र
(2) अनुभाग अधिकारी, मसारावेविप्र
(3) समस्त वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापकों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ ।
(4) समस्त वेदपाठशाला एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाई डीलिंग असिस्टेंट
(5) कार्यालय आदेश पत्रावली ।